



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | VAISHALI

शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

केन्द्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०

शिक्षा केंद्र, २ कम्पूनिटी सेटर ०

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 24-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये प्रश्नाचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक आपके विद्यालय Green Garden public School, Hathsarganj Hajipur, Hathsarganj, 844101, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 24-09-2021 से 24-9-2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुसारन के अधीन होगी।

1. प्रदीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुसारक रूप से सुनिश्चित करेगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पढ़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संकालन हो रहा है, तो इस नामांकन का अनुसारन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिना 3 में उद्धृत बच्चों के नामांकन से उसके उपर प्रमाण पत्र के अनुपत्त्यता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जात्य स्थान आदि कारणों द्वारा इसमें जो किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
5. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उपर प्रमाण पत्र के अनुपत्त्यता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जात्य स्थान आदि कारणों द्वारा इसमें जो किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने वक्त विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दड़ नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक से विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए विधारित न्यूनतम पोषणता के अनुलग्न किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यबोर्ड का अनुसरण करेंगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेंगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 205

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 205

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- LAB, LIBRARY, PLAYGROUND, MUSIC ROOM, SPORT FACILITIES, AUTOMATED SANITIZERS, WATER PURIFIER, CCTV SURVEILLANCE, FIRE EXTINGUISHER

(iv) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 8

(v) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्षा :- 3

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian, Boys :- 7, Girls 7

(vii) पेयजल की सुविधा :- 4

(viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(ix) बाधारहित पहुँच, [] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/पुस्तकालय :- STAND, DROPPER, SYRINGE, BEAKER, PIPETTE, TEST TUBE, TLM, FUNNEL, MAGNET, TONGS, OBJECTIVE LENS, SLIDE, MICROSCOPE, TEST TUBE RACK, EVAPORATING DISH, GARTITUTED CYLINDER, RUBBER TUBING, CONDENSER, VOLUMETRIC PIPET, THERMOMETER, BURNER, CLAMPS, WIRE GUAZE, PROJECTOR, SMART T BAT, WICKET, BALL, HELMET, BADMINTON, CHESS, CARROM, FOOTBALL, BASEBALL, VALLEY BALL, ROPE, (Y, 999, NewsPaper MagaZine:- 500)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्विधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में तागू कानून के तहत गठित किसी पक्षिक ट्रस्ट के माध्यम से 13 संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [22012782021924133421, 2021] है। इस कार्यक्रम से किसी प्रकार का पश्चाचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निवंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

०१/०१/२०२२
विधास भाजन
५०/-

1. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, VAISHALI
सह-सचिव प्रस्वीकृति समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, वैशाली